



कायबिद्य प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वना प्रभाग, हल्द्वानी

श्रीशुभम वन परिसर, जेल रोड, वीरगंज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfo@ec-retdf@gmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्र संख्या 3173 / 12-1 , दिनांक, हल्द्वानी, 28 | 11 | 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पंधुच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.46 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/33368/2018)

संदर्भ:- प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक-2675/4C दिनांक-03.10.2024 (संलग्न-1)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक- 492/12-1 दिनांक-23.08.2024 द्वारा कई बिन्दुओं पर आपत्तियाँ लगायी गयी। प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय का प्रेषित किया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	Query Description	अनुपालन आख्या
6.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	SIR रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-2)
22.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	उक्त प्रकरण में तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी का 0.32 है० वन भूमि प्रस्तावित है जिसमें 40 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एवं हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी का 0.14 है० वन भूमि प्रस्तावित है जिसमें 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः कुल 55 वृक्ष उक्त परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं। (संलग्न-3)
48.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्य का प्राक्कलन।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक-दिनांक-द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 99 व प्रपत्र 41 के रूप में अपलोड है।
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-11/43/2021 dated 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-		परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-
a.	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the ministry's guideline dated 08/06/2022, will be proportionate to the extent of forest	उक्त बिन्दु के क्रम में Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।

	land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.	
b.	The provisions of wildlife management plan or soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, Shall be paid by the user agency, and the same Shall be deposited in to the CAMPA account.	
48.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्य का प्राक्कलन।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 99 व प्रपत्र 41 के रूप में अपलोड है।
57.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
58.	मलवा सील को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सकें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
59.	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
60.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधारोपण करने में सुविधा हो।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
61.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तरनीक को अपनाया जाय।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
62.	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक

	Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	48 के अनुसार लागू नहीं।
63.	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य सीलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सकें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
64.	वैकल्पिक/औचित्य-प्रयोक्ता एजेन्सी मलबा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ देगी।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
65.	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि क्रमांक 48 के अनुसार लागू नहीं।
66.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जाने आपेक्षित है।	उक्त प्रकरण 1 है0 से कम होने के कारण उक्त शर्त लागू नहीं है।
67.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी प्रस्ताव में अपलोड की जानी आपेक्षित है।	उक्त प्रकरण 1 है0 से कम होने के कारण उक्त शर्त लागू नहीं है।
69.	प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावक विभाग पूर्व में स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 3173 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।